UPRB010015342026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, रायबरेली।

पीठासीन अधिकारी-(अमित पाल सिंह), (एच जे एस)-UP05691

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या-605/2026

अभिषेक कुमार पुत्र हरिकेश कुमार आयु 22 वर्ष, नि० कुरांवाबाग, मजरे विनती उपरहार, थाना कुण्डा प्रतापगढ़।

---प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

उ०प्र०राज्य द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी रायबरेली।

---अभियोगी

एवं

UPRB010016272026

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या-663/2026

हरिकेश उम्र 33 वर्ष पुत्र द्वारिका, निवासी कुरांवा बाग पो० विनती उपहार, थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ उ०प्र०

---प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

उ०प्र०राज्य द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी रायबरेली।

---अभियोगी

एवं

UPRB010016342026

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या-665/2026

रोनू पटेल उम्र 24 वर्ष पुत्र रामनारायण निवासी ग्राम रामनगर, थाना संग्रामगढ़, जिला प्रतापगढ़। ---प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

उ०प्र०राज्य द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी रायबरेली।

---अभियोगी

18-03-2026

उपरोक्त तीनों अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र एक ही अपराध संख्या से सम्बन्धित होने के कारण उपरोक्त दोनों जमानत प्रार्थनापत्रों का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है। मूलतः जमानत आदेश जमानत प्रार्थनापत्र संख्या-605/2026 अभिषेक कुमार प्रति उ०प्र०राज्य पर पारित किया जा रहा है। उक्त आदेश की प्रति शेष जमानत प्रार्थनापत्रों पर रखी जायेंगी।

उपरोक्त अग्रिम जमानत आवेदकगण/अभियुक्तगण **अभिषेक कुमार, हरिकेश** एवं **रोनू पटेल** की ओर से अपराध संख्या **28/2026,** अन्तर्गत धारा– **303(2), 317(2),317(4),317(5) भारतीय न्याय संहिता 2023,** थाना **सलोन,** जिला **रायबरेली** के मामले में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी मुकदमा द्वारा सम्बन्धित थाना कोतवाली नगर, जिला रायबरेली में इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करायी गयी कि –दिनांक 15.1.2026 की रात में अज्ञात चोरो द्वारा वादी के खेत में लगा पानी का इन्जन फील्ड मार्शल कम्पनी का व उसके गांव के शिवम पुत्र प्रेम लाल के खेत से फील्ड मार्शल कम्पनी का इन्जन व गांव के अनार कली पत्नी रामसुख का खेत के लगा चारा काटने की मशीन व ग्राम रसूलपुर के नफीस के खेत से मरकरी कम्पनी का सिंचाई का इन्जन व ग्राम रसूलपुर के ही शौकत अली पुत्र रहमत अली के खेत में लगा फील्ड मार्शल कम्पनी का इन्जन चोरी कर लिए गये है। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के उपरान्त प्रकरण की विवेचना प्रारम्भ की गयी। मामले में अभी विवेचना प्रचलित है।

आवेदकगण–अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना तथा केस डायरी व अभियोजन प्रपत्रों का सम्यक अवलोकन किया।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थनापत्र पर बल देते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया है कि उक्त मामले में आवेदकगण–अभियुक्तगण को झूंठा एवं रंजिशन फंसाया गया है। मुकदमा अज्ञात मे पंजीकृत कराया गया है, आवेदक–अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद अभियुक्त नही है। कथित घटना का कोई चक्षुदर्शी साक्षी नही है। आवेदकगण/अभियुक्तगण से किसी प्रकार की कोई बरामदगी नही हुयी है। कथित बरामदगी का कोई स्वतन्त्र चक्षुदर्शी साक्षी नही है। कथित बरामद इंजन आदि की शिनाख्त पीड़ित व्यक्तियों से नही करायी गयी है। आवेदकगण/अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास नही है। आवेदकगण/अभियुक्तगण पूर्व अनुज्ञा के बिना भारत देश नही छोड़ेगें और न्यायालय द्वारा अधिरोपित सभी शर्तो का अक्षरसः पालन करेगें। सह अभियुक्तगण संदीप, शिवशंकर उर्फ शंकर, विपिन निर्मल एवं रंजीत निर्मल का नियमित जमानत प्रार्थनापत्र इसी न्यायालय के आदेश दिनांकित 18–02–2026 से स्वीकार किये जा चुके है। प्रार्थी/अभियुक्तगण अपनी विश्वसनीय जमानतें देने को तैयार है। वे जमानत का दुरूपयोग नही करेगें। इन परिस्थितियों में आवेदक–अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी), रायबरेली द्वारा जमानत का विरोध करते हुए कथन किया गया है अभियुक्तगण प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित नही है किन्तु उनका नाम दौरान विवेचना प्रकाश में आया है। आवेदक–अभियुक्तगण के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य संकलन किया गया है। अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

अभियोजन कथानक व प्रार्थी/अभियुक्तगण द्वारा लिए गए बचाव के अनुसार दिनांक 15–01–2026 की कथित इंजन चोरी की घटना के बाबत प्रथम सूचना रिपोर्ट अत्यधिक देरी से दिनांक 04–02–2026 को 09:04 बजे अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध दर्ज करायी गयी। तदोपरान्त प्रार्थी/अभियुक्तगण की गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर प्रस्तुत प्रकरण में नामित किया गया है। कथित गिरफ्तारी व बरामदगी का कोई स्वतन्त्र साक्षी संदर्भित नही किया गया है। आज्ञापक प्राविधानों व निर्देशो के अनुरूप कथित

बरामदगी की कोई वीडियोग्राफी नही करायी गयी है। सह अभियुक्तगण संदीप, शिवशंकर उर्फ शंकर, विपिन निर्मल एवं रंजीत निर्मल का नियमित जमानत प्रार्थनापत्र इसी न्यायालय के आदेश दिनांकित 18-02-2026 से स्वीकार किये जा चुके है। अतः समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत आवेदक-अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत दिये जाने का आधार पर्याप्त पाया जाता है। तदानुसार आवेदक-अभियुक्तगण के अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाते हैं। आवेदकगण-अभियुक्तगण **अभिषेक कुमार, हरिकेश** एवं **रोनू पटेल** को अपराध संख्या 28/2026, अन्तर्गत धारा-303(2), 317(2),317(4),317(5) **भारतीय न्याय संहिता** 2023, थाना **सलोन,** जिला **रायबरेली** के मामले में उनके प्रत्येक के द्वारा पचास हजार रूपये के व्यक्तिगत बंधपत्र व इसी धनराशि की दो-दो प्रतिभू,सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि के अनुसार प्रस्तुत करने तथा अधोवर्णित वचनपत्र दाखिल करने की शर्त पर, जमानत पर रिहा किया जाये।

1- यह कि आवेदक-अभियुक्तगण दौरान साक्ष्य साक्षी/साक्ष्य से छेड़खानी नही करेगें ।

2- यह कि आवेदकगण-अभियुक्तगण इस आशय का वचन दाखिल करेगें कि अभियोजन साक्षी के उपस्थित होने पर साक्ष्य की तिथियों में कोई स्थगन प्रार्थनापत्र योजित नहीं करेगें और यदि अभियुक्त के द्वारा स्थगन प्रार्थनापत्र दिया जाता है तो सम्बन्धित न्यायालय उक्त स्थगन को वचन भंग मानते हुये जमानत का दुरूपयोग मानकर विधि अनुसार अभियुक्त की जमानत निरस्तकरने हेतु अधिकृत होगा।

3- यह कि आवेदकगण-अभियुक्तगण प्रत्येक परिस्थिति में सम्बन्धित परीक्षण न्यायालय में निम्न वर्णित स्तर पर सकारात्मक रूप से उपस्थित रहेगें -

I. परीक्षण प्रारम्भ होने के स्तर पर।

II. आरोप गठित होने की तिथि में।

III. बयान अन्तर्गत धारा 351 बी०एन०एस०एस० कलमदर्ज होने की तिथि में।

उपरोक्त तीनों स्तर पर यदि आवेदक-अभियुक्त की अनुपस्थिति बिना किसी युक्तियुक्त कारण के अथवा जानबूझ कर कारित पायी जाती है तब परीक्षण न्यायालय को उक्त अनुपस्थिति को जमानत की शर्तों का उल्लंघन मानते हुये विधि अनुसार जमानत निरस्त करते हुये प्रभावी कार्यवाही करने का अधिकार होगा।

(अमित पाल सिंह)
UP05691
सत्र न्यायाधीश, रायबरेली।
18-03-2026

Renu Srivastava
Stenographer

Digitally signed by AMIT PAL SINGH
Date: 2026.03.19 10:21:49 IST
Reason: Document Owner,order
Location: District and Sessions Court,Rebareli